

फर्द अहकाम

(नियम 26)

सहायक कलेक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी, बावडी

मदालत

मूल सिंह

बनाम

राज सरकार वहीलदार काव

मुकदमा


131, 136 RL Act

139/2020 सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--


9<sup>9</sup>/<sub>2020</sub>

वादी/प्राथी/अपीलान्ट व एक वाद/पार्यना पत्र, अपील विरुद्ध प्रतिवादीजम/अप्रथीजम/इम्पोजन्ट के अ किताब जमा जो उल्लेखित है।  
प्रतिवादीजम/अपीलजम/इम्पोजन्ट्स की राशी-जरिये मजमूत की जाकर पत्रावली दिनांक 9/10/2020 को पेश हो

  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, बावडी

9<sup>10</sup>/<sub>2020</sub>

पत्रावली पेश हुई। वकील प्राथी उपस्थित। मौटिस अधीन तामील हुआ प्रमाण हुआ जिससे शामिल मिसल किया गया। मौका रिपोर्ट पत्रावली के साथ संलग्न है। पत्रावली वास्तु बहस दिनांक 15/10/2020 को पेश हो।

  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, बावडी

15<sup>10</sup>/<sub>2020</sub>

पत्रावली पेश हुई। प्राथी अधिवक्ता उपस्थित। प्राथी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। प्राथी के प्रार्थना पत्र, गाम नैरडा के खसरा नं. 410/1 के खालेदार मूल सिंह पुत्र गोरधन सिंह जाति माली के उक्त खसरे की तरमीम प्राथी के कलजा काशत की जगह नहीं करके अन्यत्र दूसरी जगह कर दी गई।



तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व त  
अहकाम  
हुक्म की त  
में जारी

प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार  
प्राची के कलजा काबल की भूमि ABCD  
के स्थान पर तरमीम करने का आदेश  
तहसीलदार खावड़ी को दिया जाता है।  
मौका रिपोर्ट इस आदेश का अंग समझी  
जावे। तरमीम दुरस्ती बाबत तहसीलदार  
खावड़ी को तहरीर जारी हो। पत्रावली  
फैसल नुमांर होकर नम्बर से कम  
होकर दायिल रहतर हो।

सहायक कलेक्टर  
असल अधिकारी, खावड़ी